न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00020 (20/2020)

महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बलवंतराम जाति जाट निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री साहबराम जाति जाट निवासी भांभूवाली ढाणी। (डबलीबास पेमा) तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सरजीत कुमार पुत्र स्व0 श्री साहबराम जाति जाट निवासी भांभूवाली ढाणी। (डबलीबास पेमा) तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. कृष्ण लाल पुत्र बलवंत जाति जाट साकिन डबलीबास पेमा तह0 हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

आदेश दिनांक 17.02.2020, प्र. सं. 202/2015

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

श्री सुरेन्द्र सहारण अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

राजस्व अपील अधिकारी नगढ़ (राज)

निर्णय दिनांक 13.06.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन कियाकि उसकी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही होने का कथन करते हुए अप्रार्थीगण की कृषि भमि चक 14 जेआरके "ए" खाता संख 15/11 के पत्थर नंबर 66/254 (32) के किला नं. 1 से 5 में उतरी सिरे पर पश्चिम से पूर्व 1–1 गट्ठा रास्ता स्वीकृत करने का कथन किया साथ ही क[illegible] आई भूमि के बदले में न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा अप्रार्थीग[illegible] करने के लिए तैयार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीग[illegible] प्रार्थना–पत्र [illegible] विरोध करते हुए कथन कियाकि किला नं. 1 व 2 में कोई रास्ता [illegible] न. 66/253 (29) [illegible] नं. 21 में से होकर आवागमन करता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि है कि मु. नं. 66/254 किला नं. 1 ता 5 की लाईन में बिजली के खम्बे व 11 हजार लाईन का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तथा पेड़ भी है और मौका पर कोई रास्ता नही है। रास्ता के लिए प. नं. 67/254 मुरब्बा नं0 31 किला नं. 5, 6, 15, 16,25 में सड़क बनी हुई है जो प्रार्थी के प. नं. 67/253 मु0 नं0 30 किला नं. 21/4/.203, 67/254 मु. नं. 31 किला नं. 1 में जाने के लिए सड़क 4 बीघा की दूरी पर है। किला नं. 1 ता 10 अपीलांट की खातेदारी भूमि में सिंचाई हेतु मंजूरशुदा नाका व आड भी किला नं. 1 ता 5 की उतरी सींव पर स्थित है जिससे अपीलांट के खेत की सिंचाई होती है। धारा 251 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि कम दूरी का रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए था। मंजूरशुदा रास्त में किला नं. 5 में स्वीकृतशुदा धोरी खाला है जिसपर से आवागमन नहीं हो सकता क्यों कि धोली खाला पर कोई पुलिया नहीं बनी हुई। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यो पर कोई गौर नहीं किया हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागनम हेतु कोई रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट सभी तथ्यों पर विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने यह अपील रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत की है जिसका कोई सार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट की अपील का आधार यह है कि पटवारी हल्काने अपनीरिपोर्ट में प. नं. 66/254 किला नं. 1 ता 5 की लाईन में बिजली के खम्बे व 11 हजार लाईन का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पेड़ भी हैं तथा मौका पर कोई रास्ता नहीं हे। रेस्पोडेण्ट के पास कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया है। धारा 251 –ए– के अन्तर्गत रास्ते की परम आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ता, निकटतम दूरी का रास्ता के बिन्दूओं को [illegible] ना है। आईएलआर की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2018 के बिन्दू संख्या 5 में यह [illegible] है कि प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार मु. नं. 56/254 (32) [illegible] की है। रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि निकटतम रास्ता कौनसा है अथवा नहीं । अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 251 –ए– के बिन्दूओं रास्ते की आत्यंतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आवश्यकता, निकटतम रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता के संबंध में विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2020 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कि धारा 251 –ए– के बिन्दूओं रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता, निकटतम रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज)

13/6/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:04:47 IST
Reason: SelfAttested